(ii) mobilising preventive health services and providing access to the marginalised children of and on the street to treatment facilities.

(iii) providing nutritional support.

(iv) offering facilities for literacy, numeracy and life education and initiating efforts for mainstreaming in the formal education system.

(v) vocational training.

(vi) utilising facilities for shelter and hygienic living etc. During the year 1993-94, 35 centres have been opened in the country so far under the scheme.

(b) A statement indicating the required information is attached *(See* below).

(c) The scheme is being implemented by the non-governmental organisations with the assistance of the Central Government.

Statement

Names of the Cities identified for implementation of the Scheme of Welfare of Street Children

1. Agartala
2. Ahmedabad
3. Aizawal
4. Bhubaneshwar
5. Bhopal
6. Bombay
7. Bangalore
8. Calcutta
9. Coimbatore
10. Chandigarh
11. Delhi
12. Guwahati
13. Gangtok
14. Hyderabad
15. Itanagar
16. Indore
17. Imphal
18. Jaipur
19. Kozikode
20. Kohima
21. Kanpur
22. Lucknow
23. Ludhiana
24. Madras
25. Madurai
26. Nagpur
27. Patna
28. Pune
29. Panaji
30. Shimla
31. Srinagar/Jammu
32. Shillong
33. Surat
34. Vadodara
35. Visakhapatnam
36. Varanasi
37. Trivendrum

Statement —cotnd.

पिछड़ी जातियों के लिए जारी की गयी अधिसूचना की परिधि का विस्तार

1809. श्री राम नरेश यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पिछड़ी जातियों के लिए जारी की गई अधिसूचना के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या पिछड़े वर्गों के लिए आयोग में कोई संशोधन करने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सिविल सेवाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तथा (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सांसद भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची में जातियों/समुदायों को

शामिल किये जाने की चर्चा कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किये जाने संबंधी अनुरोधों तथा अधिक शामिल किये जाने और कम शामिल किये जाने संबंधी आरोपों की सुनवाई, करने इनकी जांच करने तथा तत्संबंधी सिफारिश करने हेतु एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतः सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

(ख) अब तक सरकार ने निम्नलिखित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित कर दी है। तबसे अब तक राजस्थान, उड़ीसा राज्यों तथा दमन और द्वीव और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित कर दी है। सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में इन अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल करने संबंधी कार्रवाई कर रही है। जहां तक उन अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है जिन्हें अभी अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करनी है जैसे ही ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करते हैं, वैसे ही उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त कारवाई की जाएगी।

अतः एव कोई समय सीमा दे पाना संभव नहीं होगा क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करता है, क्योंकि यह एक पूर्व आवश्यकता है।

(ग) तथा (घ) ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 में संशोधन किये जाने से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किये जाने के बाबत अब कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा वित्तीय संस्थानों सहित भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

Reservation Benefits to Scavangers

1810. SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR :

SHRIMATI VEENA VERMA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of scavangers belonging to Muslim, Christian and Sikh religions have been deprived of the benefits of reservaions, due to reclassification of scavangers, non-Hindu scavangers.have been classified as "Backwards", and

(b) if so, what steps have been taken to ensure and secure due benefits of reservations to all the scavangers ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) and (b) According to para 3 of various Presidential Orders specifying the list of Scheduled Castes, no person who professes a religion other than the Hindu, the Sikh or the Budhist shall be deemed to be a member of Schedule-Caste.

Scavengers other than SCs & STs classified as other Backward Classes have been made eligible for reservation in services of Central Government and its public sector undertaking w.e.f. 8th September, 1993.

All India Women's Conference

1811. SHRIMATI VEENA VERMA : will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that All India Women's conference held on Saturday 12th February, 1994 suggested more stringent penalties for rapists, in veiw of the growing incidence of rapes, particularly those pertaining to minor girls;

(b) if so, what were the precise observations and suggestion made at the conference; and